



सायक्लौन गैब्रियेल के लिए धन से मदत

अगर आपके सायक्लौन गैब्रियेल से हानि होइस है तो हम लोंग आपके मदत करे सकता है। बहुत तरीका है जिससे हम लोंग आपके मदत करे सकता है, और हम लोंग आपके सिचुएशन के आधार पे आपके राइट तरफ में पोइंट करे सकता है।

नागरिक सुरक्षा (सिविल डिफेन्स) पैमेंट

अगर इस में से कोई एक इलाका में आपके सायक्लौन से हानि होइस है तो आपके नागरिक सुरक्षा पैमेंट मिले सके है

- ताइराफीती (Tairāwhiti)
- पूर्वी तट इलाका (East Coast)
- होक्स बय इलाका (Hawke's Bay)
- मानावातु इलाका (Manawatu)
- वाईरारापा इलाका (Wairarapa)
- होरोफेनुआ इलाका (Horowhenua)
- नॉर्थलैंड इलाका (Northland)
- ऑकलैंड इलाका (Auckland)
- वाइकाटो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (Waikato)
- टेम्स/कोरोमंडल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (Thames/Coromandel)
- हौराकी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (Hauraki)
- मातामाता/पियाको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (Matamata/Piako)

नागरिक सुरक्षा पैमेंट प्राप्त करे के वस्तिन आपके कोई बेनेफिट पे रहे के जरूरी नहीं है। यह नोन-रेसिडेंट्स के भी मिले सके है। ज्यादातर मामला में इससे कोई फर्क नई पड़ी कि आपके केतना तलब है या आपके पास केतना धन और प्रोपटी है।

हम लोंग इस में मदत करे सकता है

- इमेजेंसी भोजन, कपड़ा और खटिया के कपड़ा में अगर हानि पहुंचिस या नष्ट होए गए है
- सायक्लौन गैब्रियेल के कारण काम नई करेके कारण इनकम के नुकसान पहुंचा है
- अगर आपके आपन घर छोड़े के कारण पैसा लगा है
- एक पैमेंट अगर आपके घर, मराए या कोम्युनिटी केंद्र जैसे स्थान में आपके साथे रहे वाला लोंग है जोन आपन जगह से निकारा गईन है।

इमेजेंसी के कारण आपके इसमें से कोई एक हालात में होए के पड़ी

- आपके आपन घर छोड़े के पड़ा (जैसे आपके आपन घर इवेकुवैट करे के पड़ा या आप स्टैंड-बाय पे है)
- इमेजेंसी के टाएम आप आपन घर से दूर रहा और वापस नई लौटे सकता
- आपके भोजन, बिछौना या कपड़ा के लिए मदद चाही
- आप काम पे नई जाए सकता।

आपके ई भी जरूरी है कि

- इंशुरेंस से आपन पैमेंट नई करे सकता (या आपके अभी तक पैमेंट नई मिला है)
- कोई और मदत नई मिले है, जैसे कि पब्लिक दान और रिलीफ फंड

अगर आप शुआ नई है कि आपके इंशुरेंस आपके खर्चा कवा करी कि नई, तब भी आप नागरिक सुरक्षा पैमेंट के लिए कोलिफाय होए सकता है। लेकिन, अगर आपके नागरिक सुरक्षा पैमेंट मिल गइस है और फिर बाद में आपके इंशुरेंस आपके खर्चा कवा करिस है तो आपके हम लोंग पैमेंट लौटाए के पड़ी।

पता करो कि आपके हममें कींची बताए के पड़ी



जब आप अपलाए करता है तो आपके हम्मैं बताए के पड़ी

- पूरा नाम
- जन्म के तारीख
- कोनटेक्ट नम्बा
- घर के पता
- अभी के पता (अगर आपके आपन घर खाली करे के पड़ा है)

अगर आप इसलिए अपलाए करता है बकोस इमेजेंसी के कारण आपके इनकम कमती होए गये है, तो आपके हम्मैं बताए के पड़ी

- आईआरडी नम्बा
- बैंक अकाउंट नम्बा
- आपके जेतना इंकम कमती होइस है, उसके डीटैल्स
- आपके जोन काम दीस है (एमप्लोएआ) उसके
 - नाम
 - पता
 - कोनटेक्ट अदमी के नाम और पता।

नागरिक सुरक्षा पैमेंट के लिए अपलाए करे के वस्तिन वेर्क एंड इनकम Work and Income के ई नम्बा पे **0800 400 100** कोल करी।

और मदत

अगर आप बेनेफिट पे है या आपके वेतन कमती है, तब वेर्क एंड इनकम (Work and Income) के पास ऐसन कई तरीका है जोन आपके जरूरी खर्चा के लिये मदत करे सके है।

वेर्क एंड इनकम (Work and Income) और मदत भी देवे है जैसे कि काम खोजे में और आपके घर के खर्चा के वस्तिन।

सब के हालात अलग-अलग होए के कारण आप किस मदत के लिये कोलिफाय होता है और अगर आपके पैसा लौटाए के जरूरी है, तो ई आपके सिचुएशन के उप्पर है।



जरूरी जानकारी के वस्तिन और खर्चा के बारे में जाने के लिए, ई लिंक पे जाओ workandincome.govt.nz
परिवार और सामाजिक सेवा के जानकारी के वस्तिन, ई लिंक पे जाओ familyservices.govt.nz

